



कार्यालय उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड

भवन संख्या 23, लेन नं० 03, शास्त्री नगर, हरिद्वार रोड़, देहरादून, 248001

Mail ID : ukmssbdun@gmail.com; Website : www.ukmssb.org, Phone : 0135-2665366(O)

पत्र संख्या: उ०चि०से०च०बो०/परी०/16/2024-25/717

दिनांक 30 सितम्बर, 2025

उत्तराखण्ड राजकीय मेडिकल कॉलेजों के अन्तर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त 439 पदों के सापेक्ष अनर्ह घोषित अभ्यर्थी जिनके द्वारा वांछित अभिलेख संलग्न नहीं किये गये हैं अथवा त्रुटिपूर्ण हैं, के प्रत्यावेदनों के निस्तारण के उपरान्त अंतिम रूप से अनर्ह अभ्यर्थियों की सूची

उत्तराखण्ड राज्य के राजकीय मेडिकल कॉलेजों के अन्तर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त 439 पदों हेतु विज्ञापन संख्या उ०चि०से०च०बो०/परी०/16/2024-25/154 दिनांक 19 फरवरी, 2025 प्रकाशित किया गया था, जिसमें अभ्यर्थियों को ऑनलाईन आवेदन करने हेतु अन्तिम तिथि दिनांक 21 मार्च, 2025 निर्धारित की गई थी।

02— बोर्ड के पत्रांक उ०चि०से०च०बो०/परी०/16/2024-25/634, दिनांक: 03 सितम्बर, 2025 द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्रों की स्कूटनी के पश्चात् कतिपय अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन विज्ञापन में प्रकाशित वांछित अर्हता पूर्ण न होने के कारण अनन्तिम रूप से अनर्ह घोषित कर दिया गया था। ऐसे अनर्ह अभ्यर्थियों को अपनी अनर्हता के सापेक्ष प्रत्यावेदन पुष्ट साक्ष्य सहित दिनांक 13 सितम्बर 2025 तक बोर्ड कार्यालय में ई-मेल आई०डी० ukmssbexam@gmail.com पर प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

03— अभ्यर्थियों द्वारा अपने प्रत्यावेदनों के साथ प्रस्तुत साक्ष्यों एवं वांछित अभिलेखों पर बोर्ड द्वारा सम्यक् रूप से विचार किया गया। विचारोपरान्त ऐसे अभ्यर्थी, जिनके वांछित प्रमाण पत्र/अभिलेख पूर्ण पाये गये हैं, उन्हें अभिलेख सत्यापन/साक्षात्कार हेतु औपबन्धिक रूप से अर्ह सूची में सम्मिलित किया गया है। शेष अभ्यर्थियों को, उनके द्वारा अपने प्रत्यावेदनों के साथ उपलब्ध कराये गये साक्ष्यों के Minimum qualifications for teachers in Medical Institutions Regulations 22 February, 2022 में निर्धारित न्यूनतम अर्हता धारित न करने के कारण/अन्य कारणों से/प्रत्यावेदन न देने के कारण बोर्ड द्वारा अन्तिम रूप से अनर्ह घोषित कर दिया गया है। अनर्ह/साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं किये जा रहे अभ्यर्थियों का विवरण इस पत्र के साथ संलग्न कर अभ्यर्थियों के सूचनार्थ प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक— यथोपरि।

ह०/—
(प्रदीप जोशी),
सचिव

अंतिम रूप से अनर्ह अभ्यर्थियों की सूची

क्र०सं०	रजिस्ट्रेशन संख्या	विषय	अभ्यर्थी का नाम	अनर्हता का कारण/वांछित अभिलेखों का विवरण	प्रत्यावेदन का निरस्तीकरण एवं कारण
1	ASSISTANT PROFESSOR (ANESTHESIOLOGY) - 101	9001000317	Mr. ANKIT RAO	अनर्ह— अभ्यर्थी के पास सीनियर रेजिडेंट का अनुभव नहीं है तथा ऑनलाईन आवेदन पत्र में भी अनुभव का दावा नहीं किया गया है। अभ्यर्थी “चिकित्सा संस्थानों में शिक्षक पात्रता योग्यता विनियम 2022” के अनुसार असिस्टेंट प्रोफेसर हेतु पात्र नहीं है।	अनर्ह— अभ्यर्थी के पास सीनियर रेजिडेंट का अनुभव नहीं है तथा ऑनलाईन आवेदन पत्र में भी अनुभव का दावा नहीं किया गया है। प्रश्नगत पद हेतु प्रकाशित विज्ञापन के नियम 24 (एल) में उल्लेख है कि— अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करते समय सभी शैक्षिक अर्हता, पेपर प्रकाशन, अनुभव, अतिरिक्त शैक्षिक योग्यता तथा काउंसिल के विवरण का अंकन सही—सही करें। मात्र ऑनलाईन आवेदन पत्र में अंकित किये गये शैक्षिक अर्हता, पेपर प्रकाशन, अनुभव, अतिरिक्त शैक्षिक योग्यता तथा काउंसिल के दावे के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के दावे स्वीकार्य नहीं होंगे।” अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में पूर्व में अनर्हता सम्बन्धी लिए गए निर्णय को यथावत् रखा जाता है।
2	ASSISTANT PROFESSOR (ANESTHESIOLOGY) - 101	9001000397	Mrs. PRIYANKA CHOURASIA	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में उल्लिखित सीनियर रेजिडेंट का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।	अनर्ह— अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में उल्लिखित सिनियर रेजिडेंट अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में पूर्व में अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत् रखा जाता है।
3	ASSISTANT PROFESSOR (ANATOMY) - 102	9001000482	Mr. DR MOHAMMAD ASHRAF KHAN	अभ्यर्थी की पी०एच०डी० डिग्री कोर्स university grant commission regulation 2016 के अनुसार किए जाने सम्बन्धी दस्तावेज संलग्न नहीं किए गए हैं।	अनर्ह— अभ्यर्थी द्वारा वांछित दस्तावेज प्रत्यावेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में अनर्हता सम्बन्धी लिये गये निर्णय को यथावत् रखा जाता है।

अंतिम रूप से अनर्ह अभ्यर्थियों की सूची

क्र०सं०	रजिस्ट्रेशन संख्या	विषय	अभ्यर्थी का नाम	अनर्हता का कारण/वांछित अभिलेखों का विवरण	प्रत्यावेदन का निरस्तीकरण एवं कारण
4	ASSISTANT PROFESSOR (ANATOMY) - 102	9001000487	Mr. ABHISHEK SHUKLA	अभ्यर्थी की पी०एच०डी० डिग्री कोर्स university grant commission regulation 2016 के अनुसार किए जाने सम्बन्धी दस्तावेज संलग्न नहीं किए गए हैं।	अनर्ह- अभ्यर्थी द्वारा वांछित दस्तावेज प्रत्यावेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में अनर्हता सम्बन्धी लिये गये निर्णय को यथावत् रखा जाता है।
5	ASSISTANT PROFESSOR (ANATOMY) - 102	9001000530	Mr. HEM SINGH	अभ्यर्थी की पी०एच०डी० डिग्री कोर्स university grant commission regulation 2016 के अनुसार किए जाने सम्बन्धी दस्तावेज संलग्न नहीं किए गए हैं।	अनर्ह- अभ्यर्थी द्वारा वांछित दस्तावेज प्रत्यावेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में अनर्हता सम्बन्धी लिये गये निर्णय को यथावत् रखा जाता है।
6	ASSISTANT PROFESSOR (ANATOMY) - 102	9001000779	Mr. SHAILENDRA SINGH	अभ्यर्थी की पी०एच०डी० डिग्री कोर्स university grant commission regulation 2016 के अनुसार किए जाने सम्बन्धी दस्तावेज संलग्न नहीं किए गए हैं।	अनर्ह- अभ्यर्थी द्वारा वांछित दस्तावेज प्रत्यावेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में अनर्हता सम्बन्धी लिये गये निर्णय को यथावत् रखा जाता है।
7	ASSISTANT PROFESSOR (BIOCHEMISTRY) - 103	9001000040	Mrs. PRIYANKA THAPA MANGER	अभ्यर्थी की पी०एच०डी० डिग्री कोर्स university grant commission regulation 2016 के अनुसार किए जाने सम्बन्धी दस्तावेज संलग्न नहीं किए गए हैं।	अनर्ह- अभ्यर्थी द्वारा वांछित दस्तावेज प्रत्यावेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में अनर्हता सम्बन्धी लिये गये निर्णय को यथावत् रखा जाता है।

अंतिम रूप से अनर्ह अभ्यर्थियों की सूची

क्र०सं०	रजिस्ट्रेशन संख्या	विषय	अभ्यर्थी का नाम	अनर्हता का कारण/वांछित अभिलेखों का विवरण	प्रत्यावेदन का निरस्तीकरण एवं कारण
8	ASSISTANT PROFESSOR (BIOCHEMISTRY) - 103	9001000161	Ms. SHRUTI RAVINDRA BHOWAD	अभ्यर्थी की पी०एच०डी० डिग्री कोर्स university grant commission regulation 2016 के अनुसार किए जाने सम्बन्धी दस्तावेज संलग्न नहीं किए गए हैं।	अनर्ह- अभ्यर्थी द्वारा वांछित दस्तावेज प्रत्यावेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में अनर्हता सम्बन्धी लिये गये निर्णय को यथावत् रखा जाता है।
9	ASSISTANT PROFESSOR (BIOCHEMISTRY) - 103	9001000342	Ms. DR RASHMI PANDEY	अनर्ह-अभ्यर्थी द्वारा एम०एस०सी० तथा पी०एच०डी० बायोकेमेस्ट्री विषय से की गयी है। चिकित्सा संस्थानों में शिक्षक पात्रता योग्यता विनियम 2022 के अनुसार असिस्टेन्ट प्रोफेसर बायोकेमेस्ट्री हेतु एम०एस०सी० मेडिकल बायोकेमेस्ट्री तथा पी०एच०डी० मेडिकल बायोकेमेस्ट्री विषय में होना अनिवार्य है।	अनर्ह- अभ्यर्थी द्वारा एम०एस०सी० मेडिकल बायोकेमेस्ट्री तथा पी०एच०डी० मेडिकल बायोकेमेस्ट्री विषय में किये जाने के सम्बन्ध में वांछित/पुख्ता साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अतः अभ्यर्थी की अनर्हता के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा पूर्व में लिये गये निर्णय को यथावत् रखा जाता है।
10	ASSISTANT PROFESSOR (BIOCHEMISTRY) - 103	9001000378	Mrs. MADHAVI SONANE	अनर्ह-अभ्यर्थी द्वारा एम०एस०सी० तथा पी०एच०डी० बायोकेमेस्ट्री विषय से की गयी है। चिकित्सा संस्थानों में शिक्षक पात्रता योग्यता विनियम 2022 के अनुसार असिस्टेन्ट प्रोफेसर बायोकेमेस्ट्री हेतु एम०एस०सी० मेडिकल बायोकेमेस्ट्री तथा पी०एच०डी० मेडिकल बायोकेमेस्ट्री विषय में होना अनिवार्य है।	अनर्ह- अभ्यर्थी द्वारा वांछित दस्तावेज प्रत्यावेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में अनर्हता सम्बन्धी लिये गये निर्णय को यथावत् रखा जाता है।

अंतिम रूप से अनर्ह अभ्यर्थियों की सूची

क्र०सं०	रजिस्ट्रेशन संख्या	विषय	अभ्यर्थी का नाम	अनर्हता का कारण/वांछित अभिलेखों का विवरण	प्रत्यावेदन का निरस्तीकरण एवं कारण
11	ASSISTANT PROFESSOR (BIOCHEMISTRY) - 103	9001000440	Mr. SANDEEP NEGI	अभ्यर्थी द्वारा एम०एस०सी० माइक्रोबायोलॉजी में की गयी है। चिकित्सा संस्थानों में शिक्षक पात्रता योग्यता विनियम 2022 के अनुसार असिस्टेंट प्रोफेसर बायोकेमिस्ट्री हेतु एम०एस०सी० मेडिकल बायोकेमिस्ट्री तथा पी०एच०डी० मेडिकल बायोकेमिस्ट्री विषय में होना अनिवार्य है।	अनर्ह- अभ्यर्थी द्वारा वांछित दस्तावेज प्रत्यावेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में अनर्हता सम्बन्धी लिये गये निर्णय को यथावत् रखा जाता है।
12	ASSISTANT PROFESSOR (BIOCHEMISTRY) - 103	9001000519	Mr. DEVENDRA NATH MISHRA	अभ्यर्थी की पी०एच०डी० डिग्री कोर्स university grant commission regulation 2016 के अनुसार किए जाने सम्बन्धी दस्तावेज संलग्न नहीं किए गए है। अभ्यर्थी द्वारा वांछित अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किए गए है।	अनर्ह- अभ्यर्थी द्वारा वांछित दस्तावेज प्रत्यावेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में अनर्हता सम्बन्धी लिये गये निर्णय को यथावत् रखा जाता है।
13	ASSISTANT PROFESSOR (BIOCHEMISTRY) - 103	9001000680	Mrs. APARNA PANDEY	अभ्यर्थी द्वारा एम०एस०सी० तथा पी०एच०डी० मेडिकल बायोकेमिस्ट्री में नहीं की गयी है। चिकित्सा संस्थानों में शिक्षक पात्रता योग्यता विनियम 2022 के अनुसार असिस्टेंट प्रोफेसर बायोकेमिस्ट्री हेतु एम०एस०सी० मेडिकल बायोकेमिस्ट्री तथा पी०एच०डी० मेडिकल बायोकेमिस्ट्री विषय में होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी द्वारा वांछित अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किये गये है।	अनर्ह- अभ्यर्थी द्वारा वांछित दस्तावेज प्रत्यावेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में अनर्हता सम्बन्धी लिये गये निर्णय को यथावत् रखा जाता है।

अंतिम रूप से अनर्ह अभ्यर्थियों की सूची

क्र०सं०	रजिस्ट्रेशन संख्या	विषय	अभ्यर्थी का नाम	अनर्हता का कारण/वांछित अभिलेखों का विवरण	प्रत्यावेदन का निरस्तीकरण एवं कारण
14	ASSISTANT PROFESSOR (BIOCHEMISTRY) - 103	9001000690	Mrs. SHRUTI	अभ्यर्थी द्वारा एम०एस०सी० तथा पी०एच०डी० मेडिकल बायोकैमिस्ट्री में नहीं की गयी है। चिकित्सा संस्थानों में शिक्षक पात्रता योग्यता विनियम 2022 के अनुसार असिस्टेन्ट प्रोफेसर बायोकैमिस्ट्री हेतु एम०एस०सी० मेडिकल बायोकैमिस्ट्री तथा पी०एच०डी० मेडिकल बायोकैमिस्ट्री विषय में होना अनिवार्य है।	अनर्ह- अभ्यर्थी द्वारा वांछित दस्तावेज प्रत्यावेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में अनर्हता सम्बन्धी लिये गये निर्णय को यथावत् रखा जाता है।
15	ASSISTANT PROFESSOR (BIOCHEMISTRY) - 103	9001000693	Mr. PRAMIT KUMAR	अभ्यर्थी द्वारा एम०एस०सी० मेडिकल बायोकैमिस्ट्री मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज/संस्थान से नहीं की गयी है। चिकित्सा संस्थानों में शिक्षक पात्रता योग्यता विनियम 2022 के नियम 3.3 में उल्लेख है कि नॉन मेडिकल ग्रेज्यूएट को एम०एस०सी० तथा पी०एच०डी० संबंधित विषय में मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज/संस्थान में परिसर पाठ्यक्रम पर नियमित छात्र के रूप में पूर्ण की गयी हो।	अनर्ह- अभ्यर्थी द्वारा वांछित दस्तावेज प्रत्यावेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में अनर्हता सम्बन्धी लिये गये निर्णय को यथावत् रखा जाता है।
16	ASSISTANT PROFESSOR (BIOCHEMISTRY) - 103	9001000736	Mr. BHUPENDER SINGH MINGWAL	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ वांछित समस्त दस्तावेज संलग्न नहीं किए गए हैं।	अनर्ह- अभ्यर्थी द्वारा वांछित दस्तावेज प्रत्यावेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में अनर्हता सम्बन्धी लिये गये निर्णय को यथावत् रखा जाता है।

अंतिम रूप से अनर्ह अभ्यर्थियों की सूची

क्र०सं०	रजिस्ट्रेशन संख्या	विषय	अभ्यर्थी का नाम	अनर्हता का कारण/वांछित अभिलेखों का विवरण	प्रत्यावेदन का निरस्तीकरण एवं कारण
17	ASSISTANT PROFESSOR (BIOCHEMISTRY) - 103	9001000739	Mrs. PALLAVI RAWAT	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ वांछित समस्त दस्तावेज संलग्न नहीं किए गए हैं।	अनर्ह- अभ्यर्थी द्वारा वांछित दस्तावेज प्रत्यावेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में अनर्हता सम्बन्धी लिये गये निर्णय को यथावत् रखा जाता है।
18	ASSISTANT PROFESSOR (BIOCHEMISTRY) - 103	9001000741	Mrs. PRATIBHA SHARMA	अभ्यर्थी द्वारा एम०एस०सी० तथा पी०एच०डी० मेडिकल बायोकैमिस्ट्री में नहीं की गयी है। चिकित्सा संस्थानों में शिक्षक पात्रता योग्यता विनियम 2022 के अनुसार असिस्टेंट प्रोफेसर बायोकैमिस्ट्री हेतु एम०एस०सी० मेडिकल बायोकैमिस्ट्री तथा पी०एच०डी० मेडिकल बायोकैमिस्ट्री विषय में होना अनिवार्य है।	अनर्ह- अभ्यर्थी द्वारा वांछित दस्तावेज प्रत्यावेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में अनर्हता सम्बन्धी लिये गये निर्णय को यथावत् रखा जाता है।

अंतिम रूप से अनर्ह अभ्यर्थियों की सूची

क्र०सं०	रजिस्ट्रेशन संख्या	विषय	अभ्यर्थी का नाम	अनर्हता का कारण/वांछित अभिलेखों का विवरण	प्रत्यावेदन का निरस्तीकरण एवं कारण
19	ASSISTANT PROFESSOR (COMMUNITY MEDICINE) 105	9001000013	Mr. NITIN AGRAWAL	अभ्यर्थी द्वारा मेडिकल काउंसिल पंजीकरण की वैधता संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।	अनर्ह— अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन के साथ मेडिकल काउंसिल पंजीकरण प्रमाण पत्र की वैधता सम्बन्धी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 07 में स्पष्ट है कि 07. अभ्यर्थी का देश की किसी भी राज्य की मेडिकल काउंसिल में ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक वैध/नवीनीकृत पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। चूंकि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत मेडिकल काउंसिल पंजीकरण प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 21 मार्च 2025 तक वैध होने के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा पूर्व में लिए गए अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत् रखा जाता है।
20	ASSISTANT PROFESSOR (COMMUNITY MEDICINE) 105	9001000262	Ms. SHILPEE	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में सीनियर रेजीडेंट का अनुभव का उल्लेख नहीं किया गया है।	अनर्ह— अभ्यर्थी द्वारा वांछित दस्तावेज प्रत्यावेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में अनर्हता सम्बन्धी लिये गये निर्णय को यथावत् रखा जाता है।
21	ASSISTANT PROFESSOR (COMMUNITY MEDICINE) 105	9001000564	Mr. JITENDRA KUMAR	अभ्यर्थी चिकित्सा संस्थानों में शिक्षक पात्रता योग्यता विनियम 2022 में निहित प्राविधानों के अनुसार पात्र नहीं है।	अनर्ह— अभ्यर्थी द्वारा वांछित दस्तावेज प्रत्यावेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में अनर्हता सम्बन्धी लिये गये निर्णय को यथावत् रखा जाता है।

अंतिम रूप से अनर्ह अभ्यर्थियों की सूची

क्र०सं०	रजिस्ट्रेशन संख्या	विषय	अभ्यर्थी का नाम	अनर्हता का कारण/वांछित अभिलेखों का विवरण	प्रत्यावेदन का निरस्तीकरण एवं कारण
22	ASSISTANT PROFESSOR (COMMUNITY MEDICINE) - 105	9001000740	Mrs. SHUBHRA DUBEY	अभ्यर्थी द्वारा मेडिकल काउंसिल पंजीकरण की वैधता संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।	अनर्ह- अभ्यर्थी द्वारा वांछित दस्तावेज प्रत्यावेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में अनर्हता सम्बन्धी लिये गये निर्णय को यथावत् रखा जाता है।
23	ASSISTANT PROFESSOR (DENTISTRY) - 106	9001000008	Mr. HITESH GUPTA	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ वांछित समस्त दस्तावेज संलग्न नहीं किए गए हैं।	अनर्ह- अभ्यर्थी द्वारा वांछित दस्तावेज प्रत्यावेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में अनर्हता सम्बन्धी लिये गये निर्णय को यथावत् रखा जाता है।
24	ASSISTANT PROFESSOR (DENTISTRY) - 106	9001000030	Mr. NIRUKET YADAV	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में सीनियर रेजीडेंट का अनुभव का उल्लेख नहीं किया गया है।	अनर्ह- अभ्यर्थी द्वारा वांछित दस्तावेज प्रत्यावेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में अनर्हता सम्बन्धी लिये गये निर्णय को यथावत् रखा जाता है।
25	ASSISTANT PROFESSOR (DENTISTRY) - 106	9001000042	Mr. RAJ SINGH RANA	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में सीनियर रेजीडेंट का अनुभव का उल्लेख नहीं किया गया है तथा डेंटल काउंसिल संबंधी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक वैध नहीं है।	अनर्ह- अभ्यर्थी द्वारा वांछित दस्तावेज प्रत्यावेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में अनर्हता सम्बन्धी लिये गये निर्णय को यथावत् रखा जाता है।
26	ASSISTANT PROFESSOR (DENTISTRY) - 106	9001000047	Mr. RAHUL GUPTA	अभ्यर्थी द्वारा सीनियर रेजीडेंट चिकित्सा संस्थानों में शिक्षक पात्रता योग्यता विनियम 2022 में निहित प्राविधानों के अनुसार नहीं की गयी है।	अनर्ह- अभ्यर्थी द्वारा वांछित दस्तावेज प्रत्यावेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में अनर्हता सम्बन्धी लिये गये निर्णय को यथावत् रखा जाता है।

अंतिम रूप से अनर्ह अभ्यर्थियों की सूची

क्र०सं०	रजिस्ट्रेशन संख्या	विषय	अभ्यर्थी का नाम	अनर्हता का कारण/वांछित अभिलेखों का विवरण	प्रत्यावेदन का निरस्तीकरण एवं कारण
27	ASSISTANT PROFESSOR (DENTISTRY) - 106	9001000092	Mr. KARANDEEP SINGH VIRK	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में सीनियर रेजीडेन्ट का अनुभव एक वर्ष पूर्ण नहीं है तथा डेन्टल काउंसिल संबंधी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक वैध नहीं है।	अनर्ह— अभ्यर्थी द्वारा वांछित दस्तावेज प्रत्यावेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में अनर्हता सम्बन्धी लिये गये निर्णय को यथावत् रखा जाता है।
28	ASSISTANT PROFESSOR (DENTISTRY) - 106	9001000098	Mr. MANU BATRA	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में सीनियर रेजीडेन्ट का अनुभव का उल्लेख नहीं किया गया है।	अनर्ह— बोर्ड द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है चूंकि अभ्यर्थी चिकित्स संस्थानों में शिक्षक पात्रता विनियम-2022 के अनुसार अनर्ह है एवं प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन में भी शैक्षिक अर्हता चिकित्स संस्थानों में शिक्षक पात्रता विनियम-2022 के अनुसार निर्धारित की गई है। अतः बोर्ड द्वारा पूर्व में अभ्यर्थी के सम्बन्ध में लिये गये अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत् रखा जाता है।
29	ASSISTANT PROFESSOR (DENTISTRY) - 106	9001000147	Mrs. MANJU RAWAT	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में सीनियर रेजीडेन्ट का अनुभव का उल्लेख नहीं किया गया है।	अनर्ह— बोर्ड द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है चूंकि अभ्यर्थी चिकित्स संस्थानों में शिक्षक पात्रता विनियम-2022 के अनुसार अनर्ह है एवं प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन में भी शैक्षिक अर्हता चिकित्स संस्थानों में शिक्षक पात्रता विनियम-2022 के अनुसार निर्धारित की गई है। अतः बोर्ड द्वारा पूर्व में अभ्यर्थी के सम्बन्ध में लिये गये अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत् रखा जाता है।

अंतिम रूप से अनर्ह अभ्यर्थियों की सूची

क्र०सं०	रजिस्ट्रेशन संख्या	विषय	अभ्यर्थी का नाम	अनर्हता का कारण/वांछित अभिलेखों का विवरण	प्रत्यावेदन का निरस्तीकरण एवं कारण
30	ASSISTANT PROFESSOR (DENTISTRY) - 106	9001000154	Mr. DR DINESH KUMAR MADDHESIA	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में सीनियर रेजीडेन्ट का अनुभव का उल्लेख नहीं किया गया है।	अनर्ह- बोर्ड द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है चूंकि अभ्यर्थी चिकित्स संस्थानों में शिक्षक पात्रता विनियम-2022 के अनुसार अनर्ह है एवं प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन में भी शैक्षिक अर्हता चिकित्स संस्थानों में शिक्षक पात्रता विनियम-2022 के अनुसार निर्धारित की गई है। अतः बोर्ड द्वारा पूर्व में अभ्यर्थी के सम्बन्ध में लिये गये अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत रखा जाता है।
31	ASSISTANT PROFESSOR (DENTISTRY) - 106	9001000200	Mrs. PREETI CHAUBEY	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में सीनियर रेजीडेन्ट का अनुभव का उल्लेख नहीं किया गया है।	अनर्ह- बोर्ड द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है चूंकि अभ्यर्थी चिकित्स संस्थानों में शिक्षक पात्रता विनियम-2022 के अनुसार अनर्ह है एवं प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन में भी शैक्षिक अर्हता चिकित्स संस्थानों में शिक्षक पात्रता विनियम-2022 के अनुसार निर्धारित की गई है। अतः बोर्ड द्वारा पूर्व में अभ्यर्थी के सम्बन्ध में लिये गये अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत रखा जाता है।
32	ASSISTANT PROFESSOR (DENTISTRY) - 106	9001000225	Ms. SMRITI MALL	अभ्यर्थी द्वारा एम०डी०/एम०एस० संबंधित विषय में नहीं किया गया है। अभ्यर्थी द्वारा मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ पी०जी० कोर्स किया गया है।	अनर्ह- अभ्यर्थी द्वारा वांछित दस्तावेज प्रत्यावेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में अनर्हता सम्बन्धी लिये गये निर्णय को यथावत् रखा जाता है।
33	ASSISTANT PROFESSOR (DENTISTRY) - 106	9001000234	Mr. RAGHU DEVANNA	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में सीनियर रेजीडेन्ट का अनुभव का उल्लेख नहीं किया गया है।	अनर्ह- अभ्यर्थी द्वारा वांछित दस्तावेज प्रत्यावेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में अनर्हता सम्बन्धी लिये गये निर्णय को यथावत् रखा जाता है।

अंतिम रूप से अनर्ह अभ्यर्थियों की सूची

क्र०सं०	रजिस्ट्रेशन संख्या	विषय	अभ्यर्थी का नाम	अनर्हता का कारण/वांछित अभिलेखों का विवरण	प्रत्यावेदन का निरस्तीकरण एवं कारण
34	ASSISTANT PROFESSOR (DENTISTRY) - 106	9001000244	Mr. VARUN KASHYAP	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में सीनियर रेजीडेंट का अनुभव का उल्लेख नहीं किया गया है।	अनर्ह- बोर्ड द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है चूंकि अभ्यर्थी चिकित्स संस्थानों में शिक्षक पात्रता विनियम-2022 के अनुसार अनर्ह है एवं प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन में भी शैक्षिक अर्हता चिकित्स संस्थानों में शिक्षक पात्रता विनियम-2022 के अनुसार निर्धारित की गई है। अतः बोर्ड द्वारा पूर्व में अभ्यर्थी के सम्बन्ध में लिये गये अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत रखा जाता है।
35	ASSISTANT PROFESSOR (DENTISTRY) - 106	9001000252	Ms. AMRITA	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में सीनियर रेजीडेंट का अनुभव का उल्लेख नहीं किया गया है।	अनर्ह- अभ्यर्थी द्वारा वांछित दस्तावेज प्रत्यावेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में अनर्हता सम्बन्धी लिये गये निर्णय को यथावत् रखा जाता है।
36	ASSISTANT PROFESSOR (DENTISTRY) - 106	9001000255	Ms. ANKITA DEVrani	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में सीनियर रेजीडेंट का अनुभव का उल्लेख नहीं किया गया है।	अनर्ह- अभ्यर्थी द्वारा वांछित दस्तावेज प्रत्यावेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में अनर्हता सम्बन्धी लिये गये निर्णय को यथावत् रखा जाता है।
37	ASSISTANT PROFESSOR (DENTISTRY) - 106	9001000275	Mr. NIRUKET YADAV	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में सीनियर रेजीडेंट का अनुभव का उल्लेख नहीं किया गया है।	अनर्ह- बोर्ड द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है चूंकि अभ्यर्थी चिकित्स संस्थानों में शिक्षक पात्रता विनियम-2022 के अनुसार अनर्ह है एवं प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन में भी शैक्षिक अर्हता चिकित्स संस्थानों में शिक्षक पात्रता विनियम-2022 के अनुसार निर्धारित की गई है। अतः बोर्ड द्वारा पूर्व में अभ्यर्थी के सम्बन्ध में लिये गये अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत रखा जाता है।

अंतिम रूप से अनर्ह अभ्यर्थियों की सूची

क्र०सं०	रजिस्ट्रेशन संख्या	विषय	अभ्यर्थी का नाम	अनर्हता का कारण/वांछित अभिलेखों का विवरण	प्रत्यावेदन का निरस्तीकरण एवं कारण
38	ASSISTANT PROFESSOR (DENTISTRY) - 106	9001000277	Mr. PARTH MEHRA	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में सीनियर रेजीडेन्ट का अनुभव का उल्लेख नहीं किया गया है।	अनर्ह- अभ्यर्थी द्वारा वांछित दस्तावेज प्रत्यावेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में अनर्हता सम्बन्धी लिये गये निर्णय को यथावत् रखा जाता है।
39	ASSISTANT PROFESSOR (DENTISTRY) - 106	9001000311	Ms. SHIPRA	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में सीनियर रेजीडेन्ट का अनुभव का उल्लेख नहीं किया गया है।	अनर्ह- अभ्यर्थी द्वारा वांछित दस्तावेज प्रत्यावेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में अनर्हता सम्बन्धी लिये गये निर्णय को यथावत् रखा जाता है।
40	ASSISTANT PROFESSOR (DENTISTRY) - 106	9001000322	Mr. NITIN PUROHIT	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में सीनियर रेजीडेन्ट का अनुभव का उल्लेख नहीं किया गया है।	अनर्ह- अभ्यर्थी द्वारा वांछित दस्तावेज प्रत्यावेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में अनर्हता सम्बन्धी लिये गये निर्णय को यथावत् रखा जाता है।
41	ASSISTANT PROFESSOR (DENTISTRY) - 106	9001000326	Mrs. SUHASINI GP	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में सीनियर रेजीडेन्ट का अनुभव का उल्लेख नहीं किया गया है तथा डेन्टल काउंसिल संबंधी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक वैध नहीं है।	अनर्ह- अभ्यर्थी द्वारा वांछित दस्तावेज प्रत्यावेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में अनर्हता सम्बन्धी लिये गये निर्णय को यथावत् रखा जाता है।
42	ASSISTANT PROFESSOR (DENTISTRY) - 106	9001000327	Mr. ANURAG TIWARI	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में सीनियर रेजीडेन्ट का अनुभव का उल्लेख नहीं किया गया है।	अनर्ह- बोर्ड द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है चूंकि अभ्यर्थी चिकित्स संस्थानों में शिक्षक पात्रता विनियम-2022 के अनुसार अनर्ह है एवं प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन में भी शैक्षिक अर्हता चिकित्स संस्थानों में शिक्षक पात्रता विनियम-2022 के अनुसार निर्धारित की गई है। अतः बोर्ड द्वारा पूर्व में अभ्यर्थी के सम्बन्ध में लिये गये अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत् रखा जाता है।

अंतिम रूप से अनर्ह अभ्यर्थियों की सूची

क्र०सं०	रजिस्ट्रेशन संख्या	विषय	अभ्यर्थी का नाम	अनर्हता का कारण/वांछित अभिलेखों का विवरण	प्रत्यावेदन का निरस्तीकरण एवं कारण
43	ASSISTANT PROFESSOR (DENTISTRY) - 106	9001000328	Mrs. SWEETY PAL	अभ्यर्थी गौतम बुद्ध चिकित्सा महाविद्यालय देहरादून में (दिनांक 13.09.2019 से दिनांक 30.08.2022) कुल 2 वर्ष 11 माह 17 दिन सीनियर रेजिडेंट के रूप में कार्यरत रहे हैं परंतु गौतम बुद्ध चिकित्सा महाविद्यालय देहरादून को लैटर ऑफ परमिशन 21.02.2022 को प्राप्त हुआ है। जिस कारण अभ्यर्थी का सीनियर रेजिडेंट का अनुभव मात्र 06 माह 09 दिन का आगणित किया जाएगा।	अनर्ह- अभ्यर्थी द्वारा वांछित दस्तावेज प्रत्यावेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में अनर्हता सम्बन्धी लिये गये निर्णय को यथावत् रखा जाता है।
44	ASSISTANT PROFESSOR (DENTISTRY) - 106	9001000340	Mr. SHASHANK UNIYAL	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में सीनियर रेजिडेंट का अनुभव का उल्लेख नहीं किया गया है।	अनर्ह- बोर्ड द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है चूंकि अभ्यर्थी चिकित्स संस्थानों में शिक्षक पात्रता विनियम-2022 के अनुसार अनर्ह है एवं प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन में भी शैक्षिक अर्हता चिकित्स संस्थानों में शिक्षक पात्रता विनियम-2022 के अनुसार निर्धारित की गई है। अतः बोर्ड द्वारा पूर्व में अभ्यर्थी के सम्बन्ध में लिये गये अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत् रखा जाता है।

अंतिम रूप से अनर्ह अभ्यर्थियों की सूची

क्र०सं०	रजिस्ट्रेशन संख्या	विषय	अभ्यर्थी का नाम	अनर्हता का कारण/वांछित अभिलेखों का विवरण	प्रत्यावेदन का निरस्तीकरण एवं कारण
45	ASSISTANT PROFESSOR (DENTISTRY) - 106	9001000365	Mr. NISHANT KUMAR	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में सीनियर रेजीडेन्ट का अनुभव का उल्लेख नहीं किया गया है।	अनर्ह- बोर्ड द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है चूंकि अभ्यर्थी चिकित्स संस्थानों में शिक्षक पात्रता विनियम-2022 के अनुसार अनर्ह है एवं प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन में भी शैक्षिक अर्हता चिकित्स संस्थानों में शिक्षक पात्रता विनियम-2022 के अनुसार निर्धारित की गई है। अतः बोर्ड द्वारा पूर्व में अभ्यर्थी के सम्बन्ध में लिये गये अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत रखा जाता है।
46	ASSISTANT PROFESSOR (DENTISTRY) - 106	9001000381	Mr. SOMNATH PRALHAD PACHRUPE	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में सीनियर रेजीडेन्ट का अनुभव का उल्लेख नहीं किया गया है।	अनर्ह- बोर्ड द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है चूंकि अभ्यर्थी चिकित्स संस्थानों में शिक्षक पात्रता विनियम-2022 के अनुसार अनर्ह है एवं प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन में भी शैक्षिक अर्हता चिकित्स संस्थानों में शिक्षक पात्रता विनियम-2022 के अनुसार निर्धारित की गई है। अतः बोर्ड द्वारा पूर्व में अभ्यर्थी के सम्बन्ध में लिये गये अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत रखा जाता है।
47	ASSISTANT PROFESSOR (DENTISTRY) - 106	9001000387	Mr. VISHNU SHARMA	अभ्यर्थी द्वारा डेन्टल काउंसिल पंजीकरण की वैधता संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।	अनर्ह- अभ्यर्थी द्वारा वांछित दस्तावेज प्रत्यावेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में अनर्हता सम्बन्धी लिये गये निर्णय को यथावत् रखा जाता है।
48	ASSISTANT PROFESSOR (DENTISTRY) - 106	9001000398	Ms. RUCHI GULATI	अभ्यर्थी द्वारा डेन्टल काउंसिल पंजीकरण की वैधता संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।	अनर्ह- अभ्यर्थी द्वारा डेन्टल काउंसिल में पंजीकरण के नवीनीकरण सम्बन्धी रसीद संलग्न की गई है, जो कि मान्य नहीं है। अतः अभ्यर्थी के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा पूर्व में लिये गये निर्णय को यथावत रखा जाता है।

अंतिम रूप से अनर्ह अभ्यर्थियों की सूची

क्र०सं०	रजिस्ट्रेशन संख्या	विषय	अभ्यर्थी का नाम	अनर्हता का कारण/वांछित अभिलेखों का विवरण	प्रत्यावेदन का निरस्तीकरण एवं कारण
49	ASSISTANT PROFESSOR (DENTISTRY) - 106	9001000429	Mrs. AIYANA PARTHI	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में सीनियर रेजीडेंट का अनुभव का उल्लेख नहीं किया गया है।	अनर्ह- बोर्ड द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है चूंकि अभ्यर्थी चिकित्स संस्थानों में शिक्षक पात्रता विनियम-2022 के अनुसार अनर्ह है एवं प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन में भी शैक्षिक अर्हता चिकित्स संस्थानों में शिक्षक पात्रता विनियम-2022 के अनुसार निर्धारित की गई है। अतः बोर्ड द्वारा पूर्व में अभ्यर्थी के सम्बन्ध में लिये गये अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत रखा जाता है।
50	ASSISTANT PROFESSOR (DENTISTRY) - 106	9001000439	Ms. KARUNA JOSHI	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में सीनियर रेजीडेंट का अनुभव का उल्लेख नहीं किया गया है।	अनर्ह- अभ्यर्थी द्वारा वांछित दस्तावेज प्रत्यावेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में अनर्हता सम्बन्धी लिये गये निर्णय को यथावत् रखा जाता है।
51	ASSISTANT PROFESSOR (DENTISTRY) - 106	9001000448	Mr. ANSHUL ARORA	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में सीनियर रेजीडेंट का अनुभव का उल्लेख नहीं किया गया है तथा डेंटल काउंसिल पंजिकरण प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।	अनर्ह- बोर्ड द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है चूंकि अभ्यर्थी चिकित्स संस्थानों में शिक्षक पात्रता विनियम-2022 के अनुसार अनर्ह है एवं प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन में भी शैक्षिक अर्हता चिकित्स संस्थानों में शिक्षक पात्रता विनियम-2022 के अनुसार निर्धारित की गई है। अतः बोर्ड द्वारा पूर्व में अभ्यर्थी के सम्बन्ध में लिये गये अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत रखा जाता है।

अंतिम रूप से अनर्ह अभ्यर्थियों की सूची

क्र०सं०	रजिस्ट्रेशन संख्या	विषय	अभ्यर्थी का नाम	अनर्हता का कारण/वांछित अभिलेखों का विवरण	प्रत्यावेदन का निरस्तीकरण एवं कारण
52	ASSISTANT PROFESSOR (DENTISTRY) - 106	9001000472	Mr. TARUN GAUR	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में सीनियर रेजीडेंट का अनुभव का उल्लेख नहीं किया गया है।	अनर्ह- बोर्ड द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है चूंकि अभ्यर्थी चिकित्स संस्थानों में शिक्षक पात्रता विनियम-2022 के अनुसार अनर्ह है एवं प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन में भी शैक्षिक अर्हता चिकित्स संस्थानों में शिक्षक पात्रता विनियम-2022 के अनुसार निर्धारित की गई है। अतः बोर्ड द्वारा पूर्व में अभ्यर्थी के सम्बन्ध में लिये गये अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत रखा जाता है।
53	ASSISTANT PROFESSOR (DENTISTRY) - 106	9001000476	Mrs. TARUNA PURI	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में सीनियर रेजीडेंट का अनुभव का उल्लेख नहीं किया गया है।	अनर्ह- बोर्ड द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है चूंकि अभ्यर्थी चिकित्स संस्थानों में शिक्षक पात्रता विनियम-2022 के अनुसार अनर्ह है एवं प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन में भी शैक्षिक अर्हता चिकित्स संस्थानों में शिक्षक पात्रता विनियम-2022 के अनुसार निर्धारित की गई है। अतः बोर्ड द्वारा पूर्व में अभ्यर्थी के सम्बन्ध में लिये गये अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत रखा जाता है।
54	ASSISTANT PROFESSOR (DENTISTRY) - 106	9001000498	Mrs. SWETA SINGH	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में सीनियर रेजीडेंट का अनुभव का उल्लेख नहीं किया गया है।	अनर्ह- अभ्यर्थी द्वारा वांछित दस्तावेज प्रत्यावेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में अनर्हता सम्बन्धी लिये गये निर्णय को यथावत् रखा जाता है।

अंतिम रूप से अनर्ह अभ्यर्थियों की सूची

क्र०सं०	रजिस्ट्रेशन संख्या	विषय	अभ्यर्थी का नाम	अनर्हता का कारण/वांछित अभिलेखों का विवरण	प्रत्यावेदन का निरस्तीकरण एवं कारण
55	ASSISTANT PROFESSOR (DENTISTRY) - 106	9001000500	Mrs. TANU SINGH	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में सीनियर रेजीडेन्ट का अनुभव का उल्लेख नहीं किया गया है।	अनर्ह- बोर्ड द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है चूंकि अभ्यर्थी चिकित्स संस्थानों में शिक्षक पात्रता विनियम-2022 के अनुसार अनर्ह है एवं प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन में भी शैक्षिक अर्हता चिकित्स संस्थानों में शिक्षक पात्रता विनियम-2022 के अनुसार निर्धारित की गई है। अतः बोर्ड द्वारा पूर्व में अभ्यर्थी के सम्बन्ध में लिये गये अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत रखा जाता है।
56	ASSISTANT PROFESSOR (DENTISTRY) - 106	9001000512	Mrs. MRIDU PANT	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में सीनियर रेजीडेन्ट का अनुभव का उल्लेख नहीं किया गया है।	अनर्ह- अभ्यर्थी द्वारा वांछित दस्तावेज प्रत्यावेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में अनर्हता सम्बन्धी लिये गये निर्णय को यथावत् रखा जाता है।
57	ASSISTANT PROFESSOR (DENTISTRY) - 106	9001000523	Mrs. SHEETAL GROVER	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में सीनियर रेजीडेन्ट का अनुभव का उल्लेख नहीं किया गया है।	अनर्ह- बोर्ड द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है चूंकि अभ्यर्थी चिकित्स संस्थानों में शिक्षक पात्रता विनियम-2022 के अनुसार अनर्ह है एवं प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन में भी शैक्षिक अर्हता चिकित्स संस्थानों में शिक्षक पात्रता विनियम-2022 के अनुसार निर्धारित की गई है। अतः बोर्ड द्वारा पूर्व में अभ्यर्थी के सम्बन्ध में लिये गये अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत रखा जाता है।

अंतिम रूप से अनर्ह अभ्यर्थियों की सूची

क्र०सं०	रजिस्ट्रेशन संख्या	विषय	अभ्यर्थी का नाम	अनर्हता का कारण/वांछित अभिलेखों का विवरण	प्रत्यावेदन का निरस्तीकरण एवं कारण
58	ASSISTANT PROFESSOR (DENTISTRY) - 106	9001000532	Mr. SHIVAM AGARWAL	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में सीनियर रेजीडेन्ट का अनुभव का उल्लेख नहीं किया गया है।	अनर्ह- बोर्ड द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है चूंकि अभ्यर्थी चिकित्स संस्थानों में शिक्षक पात्रता विनियम-2022 के अनुसार अनर्ह है एवं प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन में भी शैक्षिक अर्हता चिकित्स संस्थानों में शिक्षक पात्रता विनियम-2022 के अनुसार निर्धारित की गई है। अतः बोर्ड द्वारा पूर्व में अभ्यर्थी के सम्बन्ध में लिये गये अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत रखा जाता है।
59	ASSISTANT PROFESSOR (DENTISTRY) - 106	9001000539	Mr. HIMANSHU TOMAR	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में सीनियर रेजीडेन्ट का अनुभव का उल्लेख नहीं किया गया है।	अनर्ह- बोर्ड द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है चूंकि अभ्यर्थी चिकित्स संस्थानों में शिक्षक पात्रता विनियम-2022 के अनुसार अनर्ह है एवं प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन में भी शैक्षिक अर्हता चिकित्स संस्थानों में शिक्षक पात्रता विनियम-2022 के अनुसार निर्धारित की गई है। अतः बोर्ड द्वारा पूर्व में अभ्यर्थी के सम्बन्ध में लिये गये अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत रखा जाता है।
60	ASSISTANT PROFESSOR (DENTISTRY) - 106	9001000574	Mrs. DIKSHA YADAV	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में सीनियर रेजीडेन्ट का अनुभव का उल्लेख नहीं किया गया है।	अनर्ह- बोर्ड द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है चूंकि अभ्यर्थी चिकित्स संस्थानों में शिक्षक पात्रता विनियम-2022 के अनुसार अनर्ह है एवं प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन में भी शैक्षिक अर्हता चिकित्स संस्थानों में शिक्षक पात्रता विनियम-2022 के अनुसार निर्धारित की गई है। अतः बोर्ड द्वारा पूर्व में अभ्यर्थी के सम्बन्ध में लिये गये अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत रखा जाता है।

अंतिम रूप से अनर्ह अभ्यर्थियों की सूची

क्र०सं०	रजिस्ट्रेशन संख्या	विषय	अभ्यर्थी का नाम	अनर्हता का कारण/वांछित अभिलेखों का विवरण	प्रत्यावेदन का निरस्तीकरण एवं कारण
61	ASSISTANT PROFESSOR (DENTISTRY) - 106	9001000583	Mr. SAURABH SATYARTH	अभ्यर्थी द्वारा डेन्टल काउंसिल पंजिकरण की वैधता संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।	अनर्ह- बोर्ड द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है चूंकि अभ्यर्थी चिकित्स संस्थानों में शिक्षक पात्रता विनियम-2022 के अनुसार अनर्ह है एवं प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन में भी शैक्षिक अर्हता चिकित्स संस्थानों में शिक्षक पात्रता विनियम-2022 के अनुसार निर्धारित की गई है। अतः बोर्ड द्वारा पूर्व में अभ्यर्थी के सम्बन्ध में लिये गये अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत रखा जाता है।
62	ASSISTANT PROFESSOR (DENTISTRY) - 106	9001000599	Ms. SMRITI MALL	अभ्यर्थी द्वारा एम०डी०/एम०एस० संबंधित विषय में नहीं किया गया है। अभ्यर्थी द्वारा मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ पी०जी० कोर्स किया गया है।	अनर्ह- अभ्यर्थी द्वारा वांछित दस्तावेज प्रत्यावेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में अनर्हता सम्बन्धी लिये गये निर्णय को यथावत् रखा जाता है।
63	ASSISTANT PROFESSOR (DENTISTRY) - 106	9001000612	Mrs. TUSHIKA BANSAL	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में सीनियर रेजीडेन्ट का अनुभव का उल्लेख नहीं किया गया है।	अनर्ह- बोर्ड द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है चूंकि अभ्यर्थी चिकित्स संस्थानों में शिक्षक पात्रता विनियम-2022 के अनुसार अनर्ह है एवं प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन में भी शैक्षिक अर्हता चिकित्स संस्थानों में शिक्षक पात्रता विनियम-2022 के अनुसार निर्धारित की गई है। अतः बोर्ड द्वारा पूर्व में अभ्यर्थी के सम्बन्ध में लिये गये अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत रखा जाता है।
64	ASSISTANT PROFESSOR (DENTISTRY) - 106	9001000620	Ms. ALISHA SINGH	अभ्यर्थी द्वारा डेन्टल काउंसिल पंजिकरण की वैधता संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।	अनर्ह- अभ्यर्थी द्वारा वांछित दस्तावेज प्रत्यावेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में अनर्हता सम्बन्धी लिये गये निर्णय को यथावत् रखा जाता है।

अंतिम रूप से अनर्ह अभ्यर्थियों की सूची

क्र०सं०	रजिस्ट्रेशन संख्या	विषय	अभ्यर्थी का नाम	अनर्हता का कारण/वांछित अभिलेखों का विवरण	प्रत्यावेदन का निरस्तीकरण एवं कारण
65	ASSISTANT PROFESSOR (DENTISTRY) - 106	9001000649	Mr. SUMEET BHATT	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में सीनियर रेजीडेंट का अनुभव का उल्लेख नहीं किया गया है तथा डेन्टल काउंसिल पंजिकरण संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।	अनर्ह- अभ्यर्थी द्वारा वांछित दस्तावेज प्रत्यावेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में अनर्हता सम्बन्धी लिये गये निर्णय को यथावत् रखा जाता है।
66	ASSISTANT PROFESSOR (DENTISTRY) - 106	9001000657	Mr. PRATIK PANDE	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में सीनियर रेजीडेंट का अनुभव का उल्लेख नहीं किया गया है।	अनर्ह- बोर्ड द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है चूंकि अभ्यर्थी चिकित्स संस्थानों में शिक्षक पात्रता विनियम-2022 के अनुसार अनर्ह है एवं प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन में भी शैक्षिक अर्हता चिकित्स संस्थानों में शिक्षक पात्रता विनियम-2022 के अनुसार निर्धारित की गई है। अतः बोर्ड द्वारा पूर्व में अभ्यर्थी के सम्बन्ध में लिये गये अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत रखा जाता है।
67	ASSISTANT PROFESSOR (DENTISTRY) - 106	9001000721	Ms. AVANTIKA RANI	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में सीनियर रेजीडेंट का अनुभव का उल्लेख नहीं किया गया है तथा डेन्टल काउंसिल पंजिकरण वैधता संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।	अनर्ह- बोर्ड द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है चूंकि अभ्यर्थी चिकित्स संस्थानों में शिक्षक पात्रता विनियम-2022 के अनुसार अनर्ह है एवं प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन में भी शैक्षिक अर्हता चिकित्स संस्थानों में शिक्षक पात्रता विनियम-2022 के अनुसार निर्धारित की गई है। अभ्यर्थी द्वारा डेन्टल काउंसिल पंजिकरण वैधता संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है जो कि दिनांक 27 मार्च 2025 का (आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 21 मार्च 2025 के उपरान्त) जारी किया गया है और इससे पूर्व जारी किया गया प्रमाण पत्र दिनांक 05 फरवरी 2025 तक वैध था, जो कि नियमानुसार मान्य नहीं है। अतः बोर्ड द्वारा पूर्व में अभ्यर्थी के सम्बन्ध में लिये गये अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत रखा जाता है।

अंतिम रूप से अनर्ह अभ्यर्थियों की सूची

क्र०सं०	रजिस्ट्रेशन संख्या	विषय	अभ्यर्थी का नाम	अनर्हता का कारण/वांछित अभिलेखों का विवरण	प्रत्यावेदन का निरस्तीकरण एवं कारण
68	ASSISTANT PROFESSOR (DENTISTRY) - 106	9001000726	Ms. PREETI CHOUDHARY	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में सीनियर रेजीडेन्ट का अनुभव का उल्लेख नहीं किया गया है तथा डेन्टल काउंसिल पंजिकरण वैधता संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।	अनर्ह— बोर्ड द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है चूंकि अभ्यर्थी चिकित्स संस्थानों में शिक्षक पात्रता विनियम-2022 के अनुसार अनर्ह है एवं प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन में भी शैक्षिक अर्हता चिकित्स संस्थानों में शिक्षक पात्रता विनियम-2022 के अनुसार निर्धारित की गई है। अभ्यर्थी द्वारा डेन्टल काउंसिल पंजिकरण वैधता संबंधी कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा पूर्व में अभ्यर्थी के सम्बन्ध में लिये गये अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत रखा जाता है।
69	ASSISTANT PROFESSOR (DENTISTRY) - 106	9001000748	Ms. PALLAVI BHARTI	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में सीनियर रेजीडेन्ट का अनुभव का उल्लेख नहीं किया गया है।	अनर्ह— बोर्ड द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है चूंकि अभ्यर्थी चिकित्स संस्थानों में शिक्षक पात्रता विनियम-2022 के अनुसार अनर्ह है एवं प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन में भी शैक्षिक अर्हता चिकित्स संस्थानों में शिक्षक पात्रता विनियम-2022 के अनुसार निर्धारित की गई है। अतः बोर्ड द्वारा पूर्व में अभ्यर्थी के सम्बन्ध में लिये गये अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत रखा जाता है।
70	ASSISTANT PROFESSOR (DENTISTRY) - 106	9001000767	Mrs. INDIRA CHATURVEDI	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया डेन्टल काउंसिल पंजिकरण प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक वैध नहीं हैं।	अनर्ह— अभ्यर्थी द्वारा वांछित दस्तावेज प्रत्यावेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में अनर्हता सम्बन्धी लिये गये निर्णय को यथावत् रखा जाता है।

अंतिम रूप से अनर्ह अभ्यर्थियों की सूची

क्र०सं०	रजिस्ट्रेशन संख्या	विषय	अभ्यर्थी का नाम	अनर्हता का कारण/वांछित अभिलेखों का विवरण	प्रत्यावेदन का निरस्तीकरण एवं कारण
71	ASSISTANT PROFESSOR (DENTISTRY) - 106	9001000770	Ms. AKANKSHA BHATT	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में सीनियर रेजीडेन्ट का अनुभव का उल्लेख नहीं किया गया है।	अनर्ह- बोर्ड द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है चूंकि अभ्यर्थी चिकित्स संस्थानों में शिक्षक पात्रता विनियम-2022 के अनुसार अनर्ह है एवं प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन में भी शैक्षिक अर्हता चिकित्स संस्थानों में शिक्षक पात्रता विनियम-2022 के अनुसार निर्धारित की गई है। अतः बोर्ड द्वारा पूर्व में अभ्यर्थी के सम्बन्ध में लिये गये अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत रखा जाता है।
72	ASSISTANT PROFESSOR (DENTISTRY) - 106	9001000772	Mr. ANURAG SAXENA	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में सीनियर रेजीडेन्ट का अनुभव का उल्लेख नहीं किया गया है।	अनर्ह- अभ्यर्थी द्वारा वांछित दस्तावेज प्रत्यावेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में अनर्हता सम्बन्धी लिये गये निर्णय को यथावत् रखा जाता है।
73	ASSISTANT PROFESSOR (DENTISTRY) - 106	9001000776	Mr. DR MUKESH KUMAR	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में सीनियर रेजीडेन्ट का अनुभव का उल्लेख नहीं किया गया है।	अनर्ह- अभ्यर्थी द्वारा वांछित दस्तावेज प्रत्यावेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में अनर्हता सम्बन्धी लिये गये निर्णय को यथावत् रखा जाता है।
74	ASSISTANT PROFESSOR (DENTISTRY) - 106	9001000802	Mr. MANISH SHUKLA	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में सीनियर रेजीडेन्ट का अनुभव का उल्लेख नहीं किया गया है तथा डेन्टल काउंसिल पंजिकरण प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक वैध नहीं हैं।	अनर्ह- अभ्यर्थी द्वारा वांछित दस्तावेज प्रत्यावेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में अनर्हता सम्बन्धी लिये गये निर्णय को यथावत् रखा जाता है।

अंतिम रूप से अनर्ह अभ्यर्थियों की सूची

क्र०सं०	रजिस्ट्रेशन संख्या	विषय	अभ्यर्थी का नाम	अनर्हता का कारण/वांछित अभिलेखों का विवरण	प्रत्यावेदन का निरस्तीकरण एवं कारण
75	ASSISTANT PROFESSOR (DERMATOLOGY) - 107	9001000745	Mr. ROHIT KUMAR	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में सीनियर रेजीडेंट का अनुभव का उल्लेख नहीं किया गया है।	अनर्ह- अभ्यर्थी द्वारा वांछित दस्तावेज प्रत्यावेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में अनर्हता सम्बन्धी लिये गये निर्णय को यथावत् रखा जाता है।
76	ASSISTANT PROFESSOR (FORENSIC MEDICINE) - 109	9001000538	Mr. ASIF HUSSAIN	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ सीनियर रेजिडेंट अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न नहीं की गयी है तथा मेडिकल काउंसिल पंजिकरण की वैधता संबंधी प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया है।	अनर्ह- अभ्यर्थी द्वारा प्रत्यावेदन के साथ संलग्न किया गया मेडिकल काउंसिल पंजिकरण प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 21 मार्च 2025 के उपरान्त दिनांक 08 अप्रैल 2025 को निर्गत किया गया प्रस्तुत किया गया है, जो कि विज्ञापन के नियम 7 के अनुसार मान्य नहीं है।
77	ASSISTANT PROFESSOR (FORENSIC MEDICINE) - 109	9001000658	Mr. TAJENDER SINGH	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में सीनियर रेजीडेंट का अनुभव का उल्लेख नहीं किया गया है।	अनर्ह- अभ्यर्थी के पास सीनियर रेजिडेंट का अनुभव नहीं है तथा ऑनलाईन आवेदन पत्र में भी अनुभव का दावा नहीं किया गया है। प्रश्नगत पद हेतु प्रकाशित विज्ञापन के नियम 24 (एल) में उल्लेख है कि- अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करते समय सभी शैक्षिक अर्हता, पेपर प्रकाशन, अनुभव, अतिरिक्त शैक्षिक योग्यता तथा काउंसिल के विवरण का अंकन सही-सही करें। मात्र ऑनलाईन आवेदन पत्र में अंकित किये गये शैक्षिक अर्हता, पेपर प्रकाशन, अनुभव, अतिरिक्त शैक्षिक योग्यता तथा काउंसिल के दावे के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के दावे स्वीकार्य नहीं होंगे। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में पूर्व में अनर्हता सम्बन्धी लिए गए निर्णय को यथावत् रखा जाता है।

अंतिम रूप से अनर्ह अभ्यर्थियों की सूची

क्र०सं०	रजिस्ट्रेशन संख्या	विषय	अभ्यर्थी का नाम	अनर्हता का कारण/वांछित अभिलेखों का विवरण	प्रत्यावेदन का निरस्तीकरण एवं कारण
78	ASSISTANT PROFESSOR (GENERAL SURGERY) -111	9001000283	Ms. PRIYANKA CHOWDHARY	अभ्यर्थी द्वारा मेडिकल काउंसिल पंजीकरण संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।	अनर्ह- अभ्यर्थी द्वारा वांछित दस्तावेज प्रत्यावेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में अनर्हता सम्बन्धी लिये गये निर्णय को यथावत् रखा जाता है।
79	ASSISTANT PROFESSOR (GENERAL SURGERY) -111	9001000451	Mr. DEVENDRA SINGH MEHRA	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अनुभव प्रमाण पत्र, सुपर स्पेशलिटी एवं पी०जी० डिग्री प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।	अनर्ह- अभ्यर्थी द्वारा वांछित दस्तावेज प्रत्यावेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में अनर्हता सम्बन्धी लिये गये निर्णय को यथावत् रखा जाता है।
80	ASSISTANT PROFESSOR (GENERAL SURGERY) -111	9001000540	Mr. MITHUN BISWAS	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में सीनियर रेजिडेन्ट का अनुभव का उल्लेख नहीं किया गया है।	अनर्ह- अभ्यर्थी द्वारा वांछित दस्तावेज प्रत्यावेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में अनर्हता सम्बन्धी लिये गये निर्णय को यथावत् रखा जाता है।
81	ASSISTANT PROFESSOR (MICROBIOLOGY) -112	9001000021	Mr. JITENDRA CHANDRA DEVARAI	अभ्यर्थी द्वारा एम०एस०सी० तथा पी०एच०डी० मेडिकल माइक्रबायोलॉजी विषय में की है। अभ्यर्थी चिकित्सा संस्थानों में शिक्षक पात्रता योग्यता विनियम 2022 में उल्लिखित शैक्षिक अर्हता एवं नियम 3.3 के अनुसार पात्र नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में सीनियर रेजिडेन्ट का अनुभव का उल्लेख नहीं किया गया है।	अनर्ह- अभ्यर्थी दिनांक 11 अगस्त 2023 को असिस्टेन्ट प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए हैं जो कि चिकित्सा संस्थानों में शिक्षक पात्रता योग्यता विनियम 2022 के उपरान्त नियुक्त हुए हैं। अभ्यर्थी चिकित्सा संस्थानों में शिक्षक पात्रता योग्यता विनियम 2022 में उल्लिखित शैक्षिक अर्हता एवं नियम 3.3 के अनुसार पात्र नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में सीनियर रेजिडेन्ट का अनुभव का उल्लेख नहीं किया गया है।

अंतिम रूप से अनर्ह अभ्यर्थियों की सूची

क्र०सं०	रजिस्ट्रेशन संख्या	विषय	अभ्यर्थी का नाम	अनर्हता का कारण/वांछित अभिलेखों का विवरण	प्रत्यावेदन का निरस्तीकरण एवं कारण
82	ASSISTANT PROFESSOR (MICROBIOLOGY) -112	9001000049	Mrs. AAKANSHA GUPTA	अभ्यर्थी द्वारा एम०एस०सी० तथा पी०एच०डी० मेडिकल माइक्रबायोलॉजी विषय में की है। अभ्यर्थी चिकित्सा संस्थानों में शिक्षक पात्रता योग्यता विनियम 2022 में उल्लिखित शैक्षिक अर्हता एवं नियम 3.3 के अनुसार पात्र नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में सीनियर रेजिडेंट का अनुभव का उल्लेख नहीं किया गया है।	अनर्ह- अभ्यर्थी द्वारा वांछित दस्तावेज प्रत्यावेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में अनर्हता सम्बन्धी लिये गये निर्णय को यथावत् रखा जाता है।
83	ASSISTANT PROFESSOR (MICROBIOLOGY) -112	9001000081	Ms. NISHAT ANJUM	अनर्ह- अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लिखित सीनियर रेजिडेंट के अनुभव 6 माह 27 दिन का आगणित हो रहा है जबकि चिकित्सा संस्थानों में शिक्षक पात्रता योग्यता विनियम 2022 में वर्णित प्राविधानों के अनुसार सीनियर रेजिडेंट का 01 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है।	अनर्ह- अभ्यर्थी के पास 01 वर्ष का सीनियर रेजिडेंट का अनुभव नहीं है तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र में भी अनुभव का दावा नहीं किया गया है। जबकि चिकित्सा संस्थानों में शिक्षक पात्रता योग्यता विनियम 2022 में वर्णित प्राविधानों के अनुसार सीनियर रेजिडेंट का 01 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है।
84	ASSISTANT PROFESSOR (MICROBIOLOGY) -112	9001000095	Mrs. DIKSHA BUDHANI	अभ्यर्थी द्वारा एम०एस०सी० तथा पी०एच०डी० मेडिकल माइक्रबायोलॉजी विषय में की है। अभ्यर्थी चिकित्सा संस्थानों में शिक्षक पात्रता योग्यता विनियम 2022 में उल्लिखित शैक्षिक अर्हता एवं नियम 3.3 के अनुसार पात्र नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में सीनियर रेजिडेंट का अनुभव का उल्लेख नहीं किया गया है।	अनर्ह- अभ्यर्थी द्वारा वांछित दस्तावेज प्रत्यावेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में अनर्हता सम्बन्धी लिये गये निर्णय को यथावत् रखा जाता है।

अंतिम रूप से अनर्ह अभ्यर्थियों की सूची

क्र०सं०	रजिस्ट्रेशन संख्या	विषय	अभ्यर्थी का नाम	अनर्हता का कारण/वांछित अभिलेखों का विवरण	प्रत्यावेदन का निरस्तीकरण एवं कारण
85	ASSISTANT PROFESSOR (MICROBIOLOGY) -112	9001000128	Mr. DEEPAK CHAUDHARY	अभ्यर्थी द्वारा एम०एस०सी० तथा पी०एच०डी० मेडिकल माइक्रबायोलॉजी विषय में की है। अभ्यर्थी चिकित्सा संस्थानों में शिक्षक पात्रता योग्यता विनियम 2022 में उल्लिखित शैक्षिक अर्हता एवं नियम 3.3 के अनुसार पात्र नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में सीनियर रेजिडेंट का अनुभव का उल्लेख नहीं किया गया है।	अनर्ह- अभ्यर्थी द्वारा वांछित दस्तावेज प्रत्यावेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में अनर्हता सम्बन्धी लिये गये निर्णय को यथावत् रखा जाता है।
86	ASSISTANT PROFESSOR (MICROBIOLOGY) -112	9001000172	Ms. TANU BISHT	अभ्यर्थी द्वारा एम०एस०सी० तथा पी०एच०डी० मेडिकल माइक्रबायोलॉजी विषय में की है। अभ्यर्थी चिकित्सा संस्थानों में शिक्षक पात्रता योग्यता विनियम 2022 में उल्लिखित शैक्षिक अर्हता एवं नियम 3.3 के अनुसार पात्र नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में सीनियर रेजिडेंट का अनुभव का उल्लेख नहीं किया गया है।	अनर्ह- अभ्यर्थी द्वारा वांछित दस्तावेज प्रत्यावेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में अनर्हता सम्बन्धी लिये गये निर्णय को यथावत् रखा जाता है।
87	ASSISTANT PROFESSOR (MICROBIOLOGY) -112	9001000192	Mr. SUMIT GUPTA	अभ्यर्थी द्वारा एम०एस०सी० तथा पी०एच०डी० मेडिकल माइक्रबायोलॉजी विषय में की है। अभ्यर्थी चिकित्सा संस्थानों में शिक्षक पात्रता योग्यता विनियम 2022 में उल्लिखित शैक्षिक अर्हता एवं नियम 3.3 के अनुसार पात्र नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में सीनियर रेजिडेंट का अनुभव का उल्लेख नहीं किया गया है।	अनर्ह- अभ्यर्थी द्वारा वांछित दस्तावेज प्रत्यावेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में अनर्हता सम्बन्धी लिये गये निर्णय को यथावत् रखा जाता है।

अंतिम रूप से अनर्ह अभ्यर्थियों की सूची

क्र०सं०	रजिस्ट्रेशन संख्या	विषय	अभ्यर्थी का नाम	अनर्हता का कारण/वांछित अभिलेखों का विवरण	प्रत्यावेदन का निरस्तीकरण एवं कारण
88	ASSISTANT PROFESSOR (MICROBIOLOGY) -112	9001000208	Mrs. MAMTA MISHRA	अभ्यर्थी द्वारा एम०एस०सी० तथा पी०एच०डी० मेडिकल माइक्रबायोलॉजी विषय में की है। अभ्यर्थी चिकित्सा संस्थानों में शिक्षक पात्रता योग्यता विनियम 2022 में उल्लिखित शैक्षिक अर्हता एवं नियम 3.3 के अनुसार पात्र नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में सीनियर रेजिडेंट का अनुभव का उल्लेख नहीं किया गया है।	अनर्ह- अभ्यर्थी द्वारा वांछित दस्तावेज प्रत्यावेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में अनर्हता सम्बन्धी लिये गये निर्णय को यथावत् रखा जाता है।
89	ASSISTANT PROFESSOR (MICROBIOLOGY) -112	9001000215	Mr. AJAY KUMAR	अभ्यर्थी द्वारा एम०एस०सी० तथा पी०एच०डी० मेडिकल माइक्रबायोलॉजी विषय में की है। अभ्यर्थी चिकित्सा संस्थानों में शिक्षक पात्रता योग्यता विनियम 2022 में उल्लिखित शैक्षिक अर्हता एवं नियम 3.3 के अनुसार पात्र नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में सीनियर रेजिडेंट का अनुभव का उल्लेख नहीं किया गया है।	अनर्ह- अभ्यर्थी द्वारा वांछित दस्तावेज प्रत्यावेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में अनर्हता सम्बन्धी लिये गये निर्णय को यथावत् रखा जाता है।
90	ASSISTANT PROFESSOR (MICROBIOLOGY) -112	9001000242	Mrs. PRIYA	अभ्यर्थी द्वारा एम०एस०सी० तथा पी०एच०डी० मेडिकल माइक्रबायोलॉजी विषय में की है। अभ्यर्थी चिकित्सा संस्थानों में शिक्षक पात्रता योग्यता विनियम 2022 में उल्लिखित शैक्षिक अर्हता एवं नियम 3.3 के अनुसार पात्र नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में सीनियर रेजिडेंट का अनुभव का उल्लेख नहीं किया गया है।	अनर्ह- अभ्यर्थी द्वारा वांछित दस्तावेज प्रत्यावेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में अनर्हता सम्बन्धी लिये गये निर्णय को यथावत् रखा जाता है।

अंतिम रूप से अनर्ह अभ्यर्थियों की सूची

क्र०सं०	रजिस्ट्रेशन संख्या	विषय	अभ्यर्थी का नाम	अनर्हता का कारण/वांछित अभिलेखों का विवरण	प्रत्यावेदन का निरस्तीकरण एवं कारण
91	ASSISTANT PROFESSOR (MICROBIOLOGY) -112	9001000316	Ms. RICHA PRASAD MAHATO	अभ्यर्थी द्वारा एम०एस०सी० तथा पी०एच०डी० मेडिकल माइक्रबायोलॉजी विषय में की है। अभ्यर्थी चिकित्सा संस्थानों में शिक्षक पात्रता योग्यता विनियम 2022 में उल्लिखित शैक्षिक अर्हता एवं नियम 3.3 के अनुसार पात्र नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में सीनियर रेजिडेंट का अनुभव का उल्लेख नहीं किया गया है।	अनर्ह— अभ्यर्थी के पास 01 वर्ष का सीनियर रेजिडेंट का अनुभव नहीं है तथा अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में सीनियर रेजिडेंट का अनुभव का उल्लेख नहीं किया गया है। जबकि चिकित्सा संस्थानों में शिक्षक पात्रता योग्यता विनियम 2022 में वर्णित प्राविधानों के अनुसार सीनियर रेजिडेंट का 01 वर्ष का सीनियर रेजिडेंट का अनुभव होना अनिवार्य है तथा अभ्यर्थी चिकित्सा संस्थानों में शिक्षक पात्रता योग्यता विनियम 2022 में उल्लिखित शैक्षिक अर्हता एवं नियम 3.3 के अनुसार पात्र नहीं है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में अनर्हता सम्बन्धी लिये गये निर्णय को यथावत् रखा जाता है।
92	ASSISTANT PROFESSOR (MICROBIOLOGY) -112	9001000359	Mr. MANOJ KUMAR	अभ्यर्थी द्वारा एम०एस०सी० तथा पी०एच०डी० मेडिकल माइक्रबायोलॉजी विषय में की है। अभ्यर्थी चिकित्सा संस्थानों में शिक्षक पात्रता योग्यता विनियम 2022 में उल्लिखित शैक्षिक अर्हता एवं नियम 3.3 के अनुसार पात्र नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में सीनियर रेजिडेंट का अनुभव का उल्लेख नहीं किया गया है।	अनर्ह— अभ्यर्थी के पास 01 वर्ष का सीनियर रेजिडेंट का अनुभव नहीं है तथा अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में सीनियर रेजिडेंट का अनुभव का उल्लेख नहीं किया गया है। जबकि चिकित्सा संस्थानों में शिक्षक पात्रता योग्यता विनियम 2022 में वर्णित प्राविधानों के अनुसार सीनियर रेजिडेंट का 01 वर्ष का सीनियर रेजिडेंट का अनुभव होना अनिवार्य है तथा अभ्यर्थी चिकित्सा संस्थानों में शिक्षक पात्रता योग्यता विनियम 2022 में उल्लिखित शैक्षिक अर्हता एवं नियम 3.3 के अनुसार पात्र नहीं है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में अनर्हता सम्बन्धी लिये गये निर्णय को यथावत् रखा जाता है।

अंतिम रूप से अनर्ह अभ्यर्थियों की सूची

क्र०सं०	रजिस्ट्रेशन संख्या	विषय	अभ्यर्थी का नाम	अनर्हता का कारण/वांछित अभिलेखों का विवरण	प्रत्यावेदन का निरस्तीकरण एवं कारण
93	ASSISTANT PROFESSOR (MICROBIOLOGY) -112	9001000376	Mr. SUMIT GOYAL	अभ्यर्थी द्वारा एम०एस०सी० तथा पी०एच०डी० मेडिकल माइक्रबायोलॉजी विषय में की है। अभ्यर्थी चिकित्सा संस्थानों में शिक्षक पात्रता योग्यता विनियम 2022 में उल्लिखित शैक्षिक अर्हता एवं नियम 3.3 के अनुसार पात्र नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में सीनियर रेजिडेंट का अनुभव का उल्लेख नहीं किया गया है।	अनर्ह- अभ्यर्थी द्वारा वांछित दस्तावेज प्रत्यावेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में अनर्हता सम्बन्धी लिये गये निर्णय को यथावत् रखा जाता है।
94	ASSISTANT PROFESSOR (MICROBIOLOGY) -112	9001000394	Mr. PANKAJ VISHWAKARMA	अभ्यर्थी द्वारा एम०एस०सी० तथा पी०एच०डी० मेडिकल माइक्रबायोलॉजी विषय में की है। अभ्यर्थी चिकित्सा संस्थानों में शिक्षक पात्रता योग्यता विनियम 2022 में उल्लिखित शैक्षिक अर्हता एवं नियम 3.3 के अनुसार पात्र नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में सीनियर रेजिडेंट का अनुभव का उल्लेख नहीं किया गया है।	अनर्ह- अभ्यर्थी द्वारा वांछित दस्तावेज प्रत्यावेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में अनर्हता सम्बन्धी लिये गये निर्णय को यथावत् रखा जाता है।
95	ASSISTANT PROFESSOR (MICROBIOLOGY) -112	9001000415	Mr. ASHEERUL ISLAM	अभ्यर्थी द्वारा सीनियर रेसीडेंट का अनुभव प्रमाण संलग्न नहीं किया गया है तथा मेडिकल काउंसिल पंजीकरण प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक वैध नहीं है।	अनर्ह- अभ्यर्थी का मेडिकल काउंसिल पंजीकरण प्रमाण दिनांक 15 अप्रैल 2024 तक वैध है जो कि ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 21 मार्च 2025 तक वैध नहीं है। जो कि विज्ञापन के नियम 7 के अनुसार मान्य नहीं है।

अंतिम रूप से अनर्ह अभ्यर्थियों की सूची

क्र०सं०	रजिस्ट्रेशन संख्या	विषय	अभ्यर्थी का नाम	अनर्हता का कारण/वांछित अभिलेखों का विवरण	प्रत्यावेदन का निरस्तीकरण एवं कारण
96	ASSISTANT PROFESSOR (MICROBIOLOGY) -112	9001000462	Mrs. EKTA RANI	अभ्यर्थी द्वारा एम०एस०सी० तथा पी०एच०डी० मेडिकल माइक्रबायोलॉजी विषय में की है। अभ्यर्थी चिकित्सा संस्थानों में शिक्षक पात्रता योग्यता विनियम 2022 में उल्लिखित शैक्षिक अर्हता एवं नियम 3.3 के अनुसार पात्र नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में सीनियर रेजिडेंट का अनुभव का उल्लेख नहीं किया गया है।	अनर्ह— अभ्यर्थी के पास 01 वर्ष का सीनियर रेजिडेंट का अनुभव नहीं है तथा अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में सीनियर रेजिडेंट का अनुभव का उल्लेख नहीं किया गया है। जबकि चिकित्सा संस्थानों में शिक्षक पात्रता योग्यता विनियम 2022 में वर्णित प्राविधानों के अनुसार सीनियर रेजिडेंट का 01 वर्ष का सीनियर रेजिडेंट का अनुभव होना अनिवार्य है तथा अभ्यर्थी चिकित्सा संस्थानों में शिक्षक पात्रता योग्यता विनियम 2022 में उल्लिखित शैक्षिक अर्हता एवं नियम 3.3 के अनुसार पात्र नहीं है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में अनर्हता सम्बन्धी लिये गये निर्णय को यथावत् रखा जाता है।
97	ASSISTANT PROFESSOR (MICROBIOLOGY) -112	9001000534	Mr. DR AVINASH ASHOK SURVASE	अभ्यर्थी द्वारा एम०एस०सी० तथा पी०एच०डी० मेडिकल माइक्रबायोलॉजी विषय में की है। अभ्यर्थी चिकित्सा संस्थानों में शिक्षक पात्रता योग्यता विनियम 2022 में उल्लिखित शैक्षिक अर्हता एवं नियम 3.3 के अनुसार पात्र नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में सीनियर रेजिडेंट का अनुभव का उल्लेख नहीं किया गया है।	अनर्ह— अभ्यर्थी के पास 01 वर्ष का सीनियर रेजिडेंट का अनुभव नहीं है तथा अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में सीनियर रेजिडेंट का अनुभव का उल्लेख नहीं किया गया है। जबकि चिकित्सा संस्थानों में शिक्षक पात्रता योग्यता विनियम 2022 में वर्णित प्राविधानों के अनुसार सीनियर रेजिडेंट का 01 वर्ष का सीनियर रेजिडेंट का अनुभव होना अनिवार्य है तथा अभ्यर्थी चिकित्सा संस्थानों में शिक्षक पात्रता योग्यता विनियम 2022 में उल्लिखित शैक्षिक अर्हता एवं नियम 3.3 के अनुसार पात्र नहीं है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में अनर्हता सम्बन्धी लिये गये निर्णय को यथावत् रखा जाता है।

अंतिम रूप से अनर्ह अभ्यर्थियों की सूची

क्र०सं०	रजिस्ट्रेशन संख्या	विषय	अभ्यर्थी का नाम	अनर्हता का कारण/वांछित अभिलेखों का विवरण	प्रत्यावेदन का निरस्तीकरण एवं कारण
98	ASSISTANT PROFESSOR (MICROBIOLOGY) -112	9001000581	Mr. SACHIN SHARMA	अभ्यर्थी द्वारा एम०एस०सी० तथा पी०एच०डी० मेडिकल माइक्रबायोलॉजी विषय में की है। अभ्यर्थी चिकित्सा संस्थानों में शिक्षक पात्रता योग्यता विनियम 2022 में उल्लिखित शैक्षिक अर्हता एवं नियम 3.3 के अनुसार पात्र नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में सीनियर रेजिडेंट का अनुभव का उल्लेख नहीं किया गया है।	अनर्ह— अभ्यर्थी के पास 01 वर्ष का सीनियर रेजिडेंट का अनुभव नहीं है तथा अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में सीनियर रेजिडेंट का अनुभव का उल्लेख नहीं किया गया है। जबकि चिकित्सा संस्थानों में शिक्षक पात्रता योग्यता विनियम 2022 में वर्णित प्राविधानों के अनुसार सीनियर रेजिडेंट का 01 वर्ष का सीनियर रेजिडेंट का अनुभव होना अनिवार्य है तथा अभ्यर्थी चिकित्सा संस्थानों में शिक्षक पात्रता योग्यता विनियम 2022 में उल्लिखित शैक्षिक अर्हता एवं नियम 3.3 के अनुसार पात्र नहीं है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में अनर्हता सम्बन्धी लिये गये निर्णय को यथावत् रखा जाता है।
99	ASSISTANT PROFESSOR (MICROBIOLOGY) -112	9001000651	Mrs. RAZIA SIDDIQUI	अभ्यर्थी द्वारा एम०एस०सी० तथा पी०एच०डी० मेडिकल माइक्रबायोलॉजी विषय में की है। अभ्यर्थी चिकित्सा संस्थानों में शिक्षक पात्रता योग्यता विनियम 2022 में उल्लिखित शैक्षिक अर्हता एवं नियम 3.3 के अनुसार पात्र नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में सीनियर रेजिडेंट का अनुभव का उल्लेख नहीं किया गया है।	अनर्ह— अभ्यर्थी के पास 01 वर्ष का सीनियर रेजिडेंट का अनुभव नहीं है तथा अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में सीनियर रेजिडेंट का अनुभव का उल्लेख नहीं किया गया है। जबकि चिकित्सा संस्थानों में शिक्षक पात्रता योग्यता विनियम 2022 में वर्णित प्राविधानों के अनुसार सीनियर रेजिडेंट का 01 वर्ष का सीनियर रेजिडेंट का अनुभव होना अनिवार्य है तथा अभ्यर्थी चिकित्सा संस्थानों में शिक्षक पात्रता योग्यता विनियम 2022 में उल्लिखित शैक्षिक अर्हता एवं नियम 3.3 के अनुसार पात्र नहीं है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में अनर्हता सम्बन्धी लिये गये निर्णय को यथावत् रखा जाता है।

अंतिम रूप से अनर्ह अभ्यर्थियों की सूची

क्र०सं०	रजिस्ट्रेशन संख्या	विषय	अभ्यर्थी का नाम	अनर्हता का कारण/वांछित अभिलेखों का विवरण	प्रत्यावेदन का निरस्तीकरण एवं कारण
100	ASSISTANT PROFESSOR (MICROBIOLOGY) -112	9001000682	Mrs. POONAM GUSAIN	अभ्यर्थी द्वारा एम०एस०सी० तथा पी०एच०डी० मेडिकल माइक्रबायोलॉजी विषय में की है। अभ्यर्थी चिकित्सा संस्थानों में शिक्षक पात्रता योग्यता विनियम 2022 में उल्लिखित शैक्षिक अर्हता एवं नियम 3.3 के अनुसार पात्र नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में सीनियर रेजिडेंट का अनुभव का उल्लेख नहीं किया गया है।	अनर्ह— अभ्यर्थी के पास 01 वर्ष का सीनियर रेजिडेंट का अनुभव नहीं है तथा अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में सीनियर रेजिडेंट का अनुभव का उल्लेख नहीं किया गया है। जबकि चिकित्सा संस्थानों में शिक्षक पात्रता योग्यता विनियम 2022 में वर्णित प्राविधानों के अनुसार सीनियर रेजिडेंट का 01 वर्ष का सीनियर रेजिडेंट का अनुभव होना अनिवार्य है तथा अभ्यर्थी चिकित्सा संस्थानों में शिक्षक पात्रता योग्यता विनियम 2022 में उल्लिखित शैक्षिक अर्हता एवं नियम 3.3 के अनुसार पात्र नहीं है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में अनर्हता सम्बन्धी लिये गये निर्णय को यथावत् रखा जाता है।
101	ASSISTANT PROFESSOR (MICROBIOLOGY) -112	9001000735	Ms. DR SHWETA	अभ्यर्थी द्वारा एम०एस०सी० तथा पी०एच०डी० मेडिकल माइक्रबायोलॉजी विषय में की है। अभ्यर्थी चिकित्सा संस्थानों में शिक्षक पात्रता योग्यता विनियम 2022 में उल्लिखित शैक्षिक अर्हता एवं नियम 3.3 के अनुसार पात्र नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में सीनियर रेजिडेंट का अनुभव का उल्लेख नहीं किया गया है।	अनर्ह— अभ्यर्थी के पास 01 वर्ष का सीनियर रेजिडेंट का अनुभव नहीं है तथा अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में सीनियर रेजिडेंट का अनुभव का उल्लेख नहीं किया गया है। जबकि चिकित्सा संस्थानों में शिक्षक पात्रता योग्यता विनियम 2022 में वर्णित प्राविधानों के अनुसार सीनियर रेजिडेंट का 01 वर्ष का सीनियर रेजिडेंट का अनुभव होना अनिवार्य है तथा अभ्यर्थी चिकित्सा संस्थानों में शिक्षक पात्रता योग्यता विनियम 2022 में उल्लिखित शैक्षिक अर्हता एवं नियम 3.3 के अनुसार पात्र नहीं है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में अनर्हता सम्बन्धी लिये गये निर्णय को यथावत् रखा जाता है।

अंतिम रूप से अनर्ह अभ्यर्थियों की सूची

क्र०सं०	रजिस्ट्रेशन संख्या	विषय	अभ्यर्थी का नाम	अनर्हता का कारण/वांछित अभिलेखों का विवरण	प्रत्यावेदन का निरस्तीकरण एवं कारण
102	ASSISTANT PROFESSOR (OBSTETRICS AND GYNECOLOGY) -113	9001000211	Ms. USHA KUMARI YADAV	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ सीनियर रेजिडेंट का एक वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।	अनर्ह- अभ्यर्थी द्वारा वांछित दस्तावेज प्रत्यावेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में अनर्हता सम्बन्धी लिये गये निर्णय को यथावत् रखा जाता है।
103	ASSISTANT PROFESSOR (OPHTHALMOLOGY) -114	9001000221	Mr. SUFIYAN KHAN	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ संलग्न सीनियर रेजिडेंट का अनुभव एक वर्ष पूर्ण नहीं है।	अनर्ह- अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन के साथ संलग्न सीनियर रेजिडेंट, जो कि आवेदन पत्र में भी उल्लिखित है, का अनुभव कुल 10 माह एवं 15 दिवस का है जो कि चिकित्सा संस्थानों में शिक्षक पात्रता योग्यता विनियम 2022 में वर्णित प्राविधानों के अनुसार 01 वर्ष की नहीं है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में अनर्हता सम्बन्धी लिये गये निर्णय को यथावत् रखा जाता है।
104	ASSISTANT PROFESSOR (ORTHOPEDIC) -115	9001000431	Mr. CHHEWANG TOPGIA	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ मेडिकल काउंसिल पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गये है।	अनर्ह- अभ्यर्थी द्वारा वांछित दस्तावेज प्रत्यावेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में अनर्हता सम्बन्धी लिये गये निर्णय को यथावत् रखा जाता है।
105	ASSISTANT PROFESSOR (OTO-RHINO- LARYNGOLOGY) -116	9001000515	Mrs. KALPANA JOSHI	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में सीनियर रेजिडेंट अनुभव का उल्लेख नहीं किया गया है।	अनर्ह- अभ्यर्थी द्वारा वांछित दस्तावेज प्रत्यावेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में अनर्हता सम्बन्धी लिये गये निर्णय को यथावत् रखा जाता है।
106	ASSISTANT PROFESSOR (OTO-RHINO- LARYNGOLOGY) -116	9001000727	Mr. BHOLA KUMAR SHARMA	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में सीनियर रेजिडेंट अनुभव का उल्लेख नहीं किया गया है।	अनर्ह- अभ्यर्थी द्वारा वांछित दस्तावेज प्रत्यावेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में अनर्हता सम्बन्धी लिये गये निर्णय को यथावत् रखा जाता है।

अंतिम रूप से अनर्ह अभ्यर्थियों की सूची

क्र०सं०	रजिस्ट्रेशन संख्या	विषय	अभ्यर्थी का नाम	अनर्हता का कारण/वांछित अभिलेखों का विवरण	प्रत्यावेदन का निरस्तीकरण एवं कारण
107	ASSISTANT PROFESSOR (PATHOLOGY) -117	9001000126	Ms. GEETIKA	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में सीनियर रेजिडेन्ट अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।	अनर्ह- अभ्यर्थी द्वारा वांछित दस्तावेज प्रत्यावेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में अनर्हता सम्बन्धी लिये गये निर्णय को यथावत् रखा जाता है।
108	ASSISTANT PROFESSOR (PATHOLOGY) -117	9001000675	Mrs. OSHIN MEHENDIRATTA	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में सीनियर रेजिडेन्ट अनुभव प्रमाण पत्र तथा मेडिकल काउंसिल पंजिकरण प्रमाण पत्र की वैधता/नवीनीकरण के संबंध में दस्तावेज संलग्न नहीं किये गये है।	अनर्ह- अभ्यर्थी द्वारा वांछित दस्तावेज प्रत्यावेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में अनर्हता सम्बन्धी लिये गये निर्णय को यथावत् रखा जाता है।
109	ASSISTANT PROFESSOR (PATHOLOGY) -117	9001000692	Ms. SUPRIYA GHILDIYAL	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ मेडिकल काउंसिल पंजिकरण प्रमाण पत्र की वैधता/नवीनीकरण के संबंध में दस्तावेज संलग्न नहीं किये गये है।	अनर्ह- अभ्यर्थी द्वारा वांछित दस्तावेज प्रत्यावेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में अनर्हता सम्बन्धी लिये गये निर्णय को यथावत् रखा जाता है।
110	ASSISTANT PROFESSOR (PATHOLOGY) -117	9001000754	Mr. HARSHIT BAJPAI	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में सीनियर रेजिडेन्ट अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।	अनर्ह- अभ्यर्थी द्वारा वांछित दस्तावेज प्रत्यावेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में अनर्हता सम्बन्धी लिये गये निर्णय को यथावत् रखा जाता है।
111	ASSISTANT PROFESSOR (PEDIATRICS) -118	9001000191	Mr. NAYAN RUKHAIYAR	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ मेडिकल काउंसिल पंजिकरण प्रमाण पत्र की वैधता/नवीनीकरण के संबंध में दस्तावेज संलग्न नहीं किये गये है।	अनर्ह- अभ्यर्थी द्वारा वांछित दस्तावेज प्रत्यावेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में अनर्हता सम्बन्धी लिये गये निर्णय को यथावत् रखा जाता है।

अंतिम रूप से अनर्ह अभ्यर्थियों की सूची

क्र०सं०	रजिस्ट्रेशन संख्या	विषय	अभ्यर्थी का नाम	अनर्हता का कारण/वांछित अभिलेखों का विवरण	प्रत्यावेदन का निरस्तीकरण एवं कारण
112	ASSISTANT PROFESSOR (PEDIATRICS) -118	9001000453	Mrs. SURABHI KUMARI	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में सीनियर रेजिडेंट अनुभव प्रमाण पत्र तथा मेडिकल काउंसिल पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।	अनर्ह- अभ्यर्थी द्वारा वांछित दस्तावेज प्रत्यावेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में अनर्हता सम्बन्धी लिये गये निर्णय को यथावत् रखा जाता है।
113	ASSISTANT PROFESSOR (PEDIATRICS) -118	9001000702	Mr. MUHAMMAD SHAHID	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में सीनियर रेजिडेंट अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।	अनर्ह- अभ्यर्थी द्वारा वांछित दस्तावेज प्रत्यावेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में अनर्हता सम्बन्धी लिये गये निर्णय को यथावत् रखा जाता है।
114	ASSISTANT PROFESSOR (PHARMACOLOGY) -119	9001000321	Mr. ASHUTOSH SHUKLA	अभ्यर्थी द्वारा एम०एस०सी० लाइफ साइंस तथा पी०एच०डी० फार्माकोलॉजी विषय में की है। अभ्यर्थी चिकित्सा संस्थानों में शिक्षक पात्रता योग्यता विनियम 2022 में उल्लिखित शैक्षिक अर्हता एवं नियम 3.3 के अनुसार पात्र नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में सीनियर रेजिडेंट का अनुभव का उल्लेख नहीं किया गया है।	अनर्ह- अभ्यर्थी द्वारा वांछित दस्तावेज प्रत्यावेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में अनर्हता सम्बन्धी लिये गये निर्णय को यथावत् रखा जाता है।
115	ASSISTANT PROFESSOR (PHARMACOLOGY) -119	9001000441	Mr. DEVENDRA SINGH	अभ्यर्थी द्वारा एम०एस०सी० फार्माकोलॉजी विषय में की है। अभ्यर्थी चिकित्सा संस्थानों में शिक्षक पात्रता योग्यता विनियम 2022 में उल्लिखित शैक्षिक अर्हता एवं नियम 3.3 के अनुसार पात्र नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में सीनियर रेजिडेंट का अनुभव का उल्लेख नहीं किया गया है।	अनर्ह- अभ्यर्थी द्वारा वांछित दस्तावेज प्रत्यावेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में अनर्हता सम्बन्धी लिये गये निर्णय को यथावत् रखा जाता है।

अंतिम रूप से अनर्ह अभ्यर्थियों की सूची

क्र०सं०	रजिस्ट्रेशन संख्या	विषय	अभ्यर्थी का नाम	अनर्हता का कारण/वांछित अभिलेखों का विवरण	प्रत्यावेदन का निरस्तीकरण एवं कारण
116	ASSISTANT PROFESSOR (PHARMACOLOGY) -119	9001000665	Mr. SAURABH CHATURVEDI	अभ्यर्थी द्वारा एम० फार्मा तथा पी०एच०डी० फार्माकोलॉजी विषय में की है। अभ्यर्थी चिकित्सा संस्थानों में शिक्षक पात्रता योग्यता विनियम 2022 में उल्लिखित शैक्षिक अर्हता एवं नियम 3.3 के अनुसार पात्र नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में सीनियर रेजिडेंट का अनुभव का उल्लेख नहीं किया गया है।	अनर्ह- अभ्यर्थी द्वारा वांछित दस्तावेज प्रत्यावेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में अनर्हता सम्बन्धी लिये गये निर्णय को यथावत् रखा जाता है।
117	ASSISTANT PROFESSOR (PHARMACOLOGY) -119	9001000705	Ms. DR SHWETA	अभ्यर्थी द्वारा एम०एस०सी० बायोटेक्नोलॉजी तथा पी०एच०डी० माइक्रोबायोलॉजी विषय में की है। अभ्यर्थी चिकित्सा संस्थानों में शिक्षक पात्रता योग्यता विनियम 2022 में उल्लिखित शैक्षिक अर्हता एवं नियम 3.3 के अनुसार पात्र नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में सीनियर रेजिडेंट का अनुभव का उल्लेख नहीं किया गया है।	अनर्ह- अभ्यर्थी द्वारा वांछित दस्तावेज प्रत्यावेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में अनर्हता सम्बन्धी लिये गये निर्णय को यथावत् रखा जाता है।
118	ASSISTANT PROFESSOR (PHYSIOLOGY) -121	9001000652	Mrs. DR POOJA JAISWAL	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ संलग्न सीनियर रेजिडेंट का अनुभव एक वर्ष पूर्ण नहीं है तथा मेडिकल काउंसिल पंजिकरण प्रमाण पत्र की वैधता/नवीनीकरण के संबंध में दस्तावेज संलग्न नहीं किये गये हैं।	अनर्ह- अभ्यर्थी द्वारा वांछित दस्तावेज प्रत्यावेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में अनर्हता सम्बन्धी लिये गये निर्णय को यथावत् रखा जाता है।

अंतिम रूप से अनर्ह अभ्यर्थियों की सूची

क्र०सं०	रजिस्ट्रेशन संख्या	विषय	अभ्यर्थी का नाम	अनर्हता का कारण/वांछित अभिलेखों का विवरण	प्रत्यावेदन का निरस्तीकरण एवं कारण
119	ASSISTANT PROFESSOR (PHYSIOLOGY) -121	9001000768	Mrs. SONAL SINGH	अभ्यर्थी द्वारा मात्र एम०एस०सी० मेडिकल फिजियोलॉजी की है। अभ्यर्थी पी०एच०डी० मेडिकल फिजियोलॉजी शैक्षिक धारित नहीं करती है। अभ्यर्थी चिकित्सा संस्थानों में शिक्षक पात्रता योग्यता विनियम 2022 में उल्लिखित शैक्षिक अर्हता एवं नियम 3.3 के अनुसार पात्र नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में सीनियर रेजिडेंट का अनुभव का उल्लेख नहीं किया गया है।	अनर्ह- अभ्यर्थी द्वारा वांछित दस्तावेज प्रत्यावेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में अनर्हता सम्बन्धी लिये गये निर्णय को यथावत् रखा जाता है।
120	ASSISTANT PROFESSOR (PHYSIOLOGY) -121	9001000790	Mr. JEETENDRA KUMAR	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ मेडिकल काउंसिल पंजिकरण प्रमाण पत्र की वैधता/नवीनीकरण के संबंध में दस्तावेज संलग्न नहीं किये गये है।	अनर्ह- अभ्यर्थी द्वारा वांछित दस्तावेज प्रत्यावेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में अनर्हता सम्बन्धी लिये गये निर्णय को यथावत् रखा जाता है।
121	ASSISTANT PROFESSOR (PSYCHIATRY) -122	9001000088	Mr. RAJEEV RANJAN RAJ	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ मेडिकल काउंसिल पंजिकरण प्रमाण पत्र की वैधता/नवीनीकरण के संबंध में दस्तावेज संलग्न नहीं किये गये है।	अनर्ह- अभ्यर्थी द्वारा वांछित दस्तावेज प्रत्यावेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में अनर्हता सम्बन्धी लिये गये निर्णय को यथावत् रखा जाता है।

अंतिम रूप से अनर्ह अभ्यर्थियों की सूची

क्र०सं०	रजिस्ट्रेशन संख्या	विषय	अभ्यर्थी का नाम	अनर्हता का कारण/वांछित अभिलेखों का विवरण	प्रत्यावेदन का निरस्तीकरण एवं कारण
122	ASSISTANT PROFESSOR (PSYCHIATRY) -122	9001000115	Mrs. ANUPAMA ARORA	अभ्यर्थी का मेडिकल काउंसिल पंजीकरण प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक वैध नहीं है।	अनर्ह- अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन के साथ संलग्न मेडिकल काउंसिल पंजीकरण प्रमाण पत्र (जारी दिनांक 09 जुलाई 2025) संलग्न किया गया है जो कि आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 21 मार्च 2025 के उपरान्त का जारी किया गया है। प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 7 में स्पष्ट उल्लेख है कि "अभ्यर्थी का देश की किसी भी राज्य की मेडिकल काउंसिल में ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक वैध/नवीनीकृत पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।" अतः बोर्ड द्वारा पूर्व में अभ्यर्थी की अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत रखा जाता है।
123	ASSISTANT PROFESSOR (RADIOTHERAPY) -124	9001000449	Mrs. KIRAN DOBRIYAL	अभ्यर्थी चिकित्सा संस्थानों में शिक्षक पात्रता योग्यता विनियम 2022 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार सीनियर रेजिडेंट का अनुभव मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थानों से नहीं है।	अनर्ह- अभ्यर्थी द्वारा वांछित दस्तावेज प्रत्यावेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में अनर्हता सम्बन्धी लिये गये निर्णय को यथावत् रखा जाता है।